सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **33 / 2018** दायर दिनाँक **23.01.2018**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. अब्दुल हमीद पुत्र मजीद खाँ, उम्र–48साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. मजलु खाँ पुत्र मोहम्मद बक्स खाँ, उम्र–68साल,<br>2. मजीद खाँ पुत्र मोहम्मद बक्स खाँ, उम्र–78साल,<br>3. गनी मोहम्मद पुत्र मजीद खाँ, उम्र–40साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा, अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.**

**उपस्थितः–**

1. श्री मो0 शरीफ शेरानी, वकील, वादी।
2. श्री नरेन्द्रसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 की ओर से।

## –:: निर्णय ::–

दिनाँक **16.02.2018**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 एक ही परिवार से है।

शरहद शेरानीआबाद में खसरा नम्बर 347 रकबा 08.00 बीघा व खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा तथा शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 45 रकबा 13.05 बीघा भूमियाँ वादी व प्रतिवादीगण 'ख्या 01 ता 03 की पेतृक भूमि है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। नकल खतौनी पेश है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

वादग्रस्त भूमि का मौखिक बन्टवारा पक्षकारान् के बीच हो चुका है। उक्त मौखिक बन्टवारानुसार पक्षकारान् काबिज काश्त है जो कि निम्नानुसार हैः–

**(क) वादी अब्दुल हमीद के बन्ट में आई भूमि–**

शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 45 रकबा 13.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि।

**(ख) प्रतिवादी 01 मजलु खाँ के बन्ट में आई भूमि–**

शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा में से दक्षिणी तरफ का 03.06 बीघा भूमि बन्ट में है।

**(ग) प्रतिवादी 03 गनी मोहम्मद के बन्ट में आई भूमि–**

शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 08.00 बीघा भूमि सम्पूर्ण बन्ट में है। शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा भूमि में से उत्तरी तरफ का रकबा 03.07 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

प्रतिवादी संख्या 02 मजीद खाँ का नाम इन खसरा नम्बरान् की भूमि में से हटाया जावे।

वादग्रस्त भूमि पर वादी कदीम से काश्त करते आये है, दिनाँक 03.01.2018 को प्रतिवादीगण ने वादी को वादग्रस्त भूमि को बैचाण कर बेदखल करने की एलानियाँ धमकी दी है अगर प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को बेचाण कर दिया तो वादी को अपारक्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से करना सम्भव नहीं होगा, इसलिए दावा बाबत् निषेधाज्ञा का पेश करना लाजमी आया है। इस प्रकार बिनाय दावा उत्पन्न हुआ जो लगातार हो रहा है।

प्रार्थना वादी है कि– मौखिक निम्न बन्ट अनुसार खातेदारी घोषित की जावेः–

**(क) वादी अब्दुल हमीद के बन्ट में आई भूमि–**

शरहद डाबगाँव में खेत खसरा नम्बर 45 रकबा 13.05 बीघा सम्पूर्ण भूमि।

**(ख) प्रतिवादी 01 मजलु खाँ के बन्ट में आई भूमि–**

शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा में से दक्षिणी तरफ का 03.06 बीघा भूमि बन्ट में है।

**(ग) प्रतिवादी 03 गनी मोहम्मद के बन्ट में आई भूमि–**

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

Scanned by CamScanner

शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 08.00 बीघा भूमि सम्पूर्ण बन्ट में है। शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा भूमि में से उत्तरी तरफ का रकबा 03.07 बीघा भूमि बन्ट में आई है।

प्रतिवादी संख्या 02 मजीद खाँ का नाम इन खसरा नम्बरान् की भूमि में से हटाया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 04 जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 04 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01, 02 व 03 तक ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत् पक्षकारान् को पढकर सुनाई व समझाई गयी, जिसे बिना किसी दबाव या लालच के सही होना पक्षकारान् द्वारा स्वीकार किया गया। वादी की पहचान वकील श्री मो० शेरानी ने की व प्रतिवादीगण की पहचान वकील श्री नरेन्द्रसिंह ने की है। हस्ब बख्वाहिश राजीनामा तस्दीक किया गया।

पक्षकारान् राजीनामा के मुताबिक, पक्षकारान् दावानुसार दावा डिक्री चाहते हैं।

वाद के समर्थन में वादी ने, शपथ–पत्र, जमाबन्दी ग्राम शेरानी आबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 285/141 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम शेरानी आबाद सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 289/260 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी ग्राम डाबगाँव सम्वत् 2070–2073 खेवट संख्या 208/175 की प्रमाणित प्रतिलिपि,पेश है।

विद्वान वकुलाय की सारगर्भित बहस सुनी गयी। पक्षकारान् ने जरिये वकुलाय अपना राजीनामा पेश कर दिया है। पक्षकारान् राजीनामा मुताबिक दावा डिक्री किया जाने का निवेदन कर रहे हैं। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बहस पर मनन् किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया।

वाद में राजीनामा पेश हो चुका है। राजीनामा पक्षकारान् के मुताबिक दावा डिक्री जाना हमारे मत में उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 33/2018
दायर दिनाँक 23.01.2018, निर्णय दिनाँक 16.02.2018
अब्दुल हमीद बनाम्, मजलु खाँ, वगैरा।

अतः, बाद विवेचन, वाद वादी, डिक्री सादिर किया जाता है।

## आदेश

हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, वाद वर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 45 रकबा 13.05 बीघा भूमि सम्पूर्ण का वादी अब्दुल हमीद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा में से दक्षिणी तरफ का 03.06 बीघा भूमि का प्रतिवादी 01 मजलु खाँ को तथा इसी खसरे में से उत्तरी तरफ का हिस्सा रकबा 03.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
3. शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 08.00 बीघा भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादी 03 गनी मोहम्मद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 347 रकबा 08.00 व खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 02 मजीद खाँ का नाम हटाया जाता है तथा शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 45 रकबा 13.05 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **16.02.2018** को सरे ईजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

# डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
## (आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
## अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
## बइजलास : **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **33/2018** दायर दिनाँक **23.01.2018**

| वादी | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1. अब्दुल हमीद पुत्र मजीद खाँ, उम्र–48साल, जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। | बनाम् | 1. मजलु खाँ पुत्र मोहम्मद बक्स खाँ, उम्र–68साल,<br>2. मजीद खाँ पुत्र मोहम्मद बक्स खाँ, उम्र–78साल,<br>3. गनी मोहम्मद पुत्र मजीद खाँ, उम्र–40साल, समस्त,जाति–शेरानी मुसलमान, निवासी–शेरानी आबाद, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान,<br>4. तहसीलदार डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान। |

**दावा बाबत्**
**घोषणा खातेदारी, बन्टवारा, रिकॉर्ड दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा,**
**अन्तर्गत धारा–88, 53, 188, R.T.Act.**

दिनाँक **16.02.2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री मो0 शरीफ शेरानी, वकील, वादी व श्री नरेन्द्रसिंह, वकील, प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03 ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा बख्वाहिश राजीनामा डिक्री सादिर कर, वाद वर्णित खसरान् की भूमियों का बन्टवारा बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स से कर, वर्तमान खातेदारी के स्थान पर, निम्नानुसार खातेदारी घोषित की जाती हैः–

1. शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 45 रकबा 13.05 बीघा भूमि सम्पूर्ण का वादी अब्दुल हमीद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
2. शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा में से दक्षिणी तरफ का 03.06 बीघा भूमि का प्रतिवादी 01 मजलु खाँ को तथा इसी खसरे में से उत्तरी तरफ का हिस्सा रकबा 03.07 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 03 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

3. शरहद शेरानी आबाद में खेत खसरा नम्बर 347 रकबा 08.00 बीघा भूमि सम्पूर्ण का प्रतिवादी 03 गनी मोहम्मद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

शरहद शेरानी आबाद में खसरा नम्बर 347 रकबा 08.00 व खसरा नम्बर 340 रकबा 06.13 बीघा में से प्रतिवादी संख्या 02 मजीद खाँ का नाम हटाया जाता है तथा शरहद डाबगाँव में खसरा नम्बर 45 रकबा 13.05 बीघा में से प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का नाम हटाया जाता है। तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.................
....–....................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **16.02.2018** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

| मुद्दई | रूपया | पैसे | मुदायलह | रूपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | स्टाम्प | | |
| स्टाम्प | | | वकालतनामा | | |
| वकालतनामा | | | स्टाम्प अर्जी | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | | महनताना वकील | | |
| महनताना वकील | – | | खर्चा गवाहान | | |
| खर्चा गवाहान | | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बाबत इजराय | | |
| बाबत इजराय | | | हुक्मनामा | | |
| हुक्मनामा | | | मुतफर्रिक | | |
| मुतफर्रिक | | | | | |
| मिजान | | | मिजान | | |

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner